(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक–.................2018 निगरानी – 5661/2018/अशोकनगर/भू. 25.

निगरानीकर्ता– 1 .शब्बीर (अहमद) खां पुत्र साहेव खां आयु 54 वर्ष निवासी ग्राम गदूली (गइली) तहसील मुंगावली जिला अषोकनगर म0प्र0

विरूद्व

प्रतिनिगरानीकर्ता– 1.शमशुद्धीन खां पुत्र श्री शेर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम गदूली (गइली) तहसील मुंगावली जिला अषोकनगर म0 प्र0

2 . मध्य प्रदेश शासन

श्री .... द्वारा आज दि. 14-9-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 18-9-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 14-9-18

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण क्रमांक–45अ–12/2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 06/06/.2018 राजस्व निरीक्षक परगना मुंगावली जिला अषोकनगर (म0प्र0)

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार परगना मुंगावली, जिला अषोकनगर के समक्ष ग्राम गदूली (गइली) में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 265, रकवा 2.049 हे0 का सीमांकन किए जाने के लिए आवेदन अन्तर्गत धारा 129 म0प्र0भू0रा0स0 पेश किया गया जिस पर तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 45अ–12/2016–17 दर्ज किया गया। एवं उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता को सुनबाई का अवसर दिए बिना ही सीमांकन कार्यवाही पूरी कर दी गयी जबकि निगरानीकर्ता के भूमिस्वामित्व की भूमि सर्वे नम्वर 266, रकवा 2.185 हे0 प्रतिनिगरानीकर्ता की भूमि सर्वे नम्बर 265, रकवा 2.049 हे0 से लगी हुई है इसलिए निगरानीकर्ता मैडिया कषक है। परन्तु राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा निगरानीकर्ता को सुने बिना ही सीमांकन करने हुए लगभग 15 विस्वा कषि भूमि को निगरानीकर्ता के भूमिस्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर 266, रकवा 2.185 हे0 में दर्शा दिया गया है जिस कारण मौका स्थल पर झगडा होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल अग्रिम प्रति 1/01 पृष्ठ संख्या 07 हस्ताक्षर व नाम 14/9/18

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5661/2018/अशोकनगर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली</u>**	